पत्रांक : 8183 / उ.सू.आ. / 2012
दिनांक : 05 / 06 / 12

प्रिय

जैसा आप अवगत ही हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ञ) (i) तथा (iii) के अंतर्गत कमशः राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने तथा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के नमूने लेने को भी "सूचना का अधिकार" की परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है तथा कार्यों का निरीक्षण किये जाने एवं प्रयुक्त सामग्री के प्रमाणित नमूने लिये जाने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है. इसका प्रयोग नागरिकों के द्वारा विभिन्न लोक प्राधिकारियों जैसे लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, पेयजल विभाग आदि के द्वारा किये गये / किये जा रहे राजकीय निर्माण कार्यों के निरीक्षण के लिए किया जा सकता है तथा निर्माण कार्यों में प्रयोग की गयी विभिन्न सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त किये जा सकते हैं.

2. अधिनियम के अंतर्गत निर्माण कार्यों के निरीक्षण एवं निर्माण सामग्री से संबंधित उपरोक्त सूचना को अनुरोधकर्ताओं को दिये जाने के सापेक्ष लोक प्राधिकारियों द्वारा ली जाने वाली फीस एवं प्रकिया के विषय में शासन स्तर से अभी तक कोई नियम नहीं बनाये गये हैं जिससे ऐसे प्राप्त होने वाले सूचना अनुरोधों के संबंध में लोक सूचना अधिकारियों के स्तर से की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 (1) के

अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित कराने के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियम बनाने के लिए अधिकृत है.

3. अतः अनुरोध है कि कृपया अधिनियम की धारा 27 की उपधारा –(2) के खण्ड ख तथा ग के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत निर्माण कार्यों एवं निर्माण सामग्री से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए यथोचित शुल्क / फीस एवं प्रकिया निर्धारित करने संबंधी नियम राज्य सरकार के स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री आलोक कुमार जैन
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून

प्रतिलिपि सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त